FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रहलाद बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अर्न्त. धारा 128) मु0नं0 ५५७सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/812

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-07-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्राविली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 10/10/25 को पेश हों।	
10/10/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 14/10/25 को पेश हों।	
14/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमा के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 12.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:20 IST
Reason: SelfAttested

मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 12.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :—

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 27/1 रकबा 0.22 है0 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 12.06.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:40:20 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)